



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र. 2763/म.प्र.नि.वि.वि.आयोग,भोपाल/अका-1/2023-24

दिनांक 10/11/23

//आदेश//

प्रायोजी संस्था विक्रांत एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसायटी, ग्वालियर द्वारा जिले में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव क्रं. 531 दिनांक 27.07.2021 एवं अनुपालन प्रस्ताव क्रं. वीईएसएस/जी/2020-21/22/590 दिनांक 26.04.2022 में प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय के एकल मुख्य परिसर में संस्था द्वारा पूर्व से संचालित निजी महाविद्यालयों को भविष्य में विश्वविद्यालय की संघटक ईकाई के रूप में सम्मिलित किए जाने का उल्लेख किया गया था।

विक्रांत विश्वविद्यालय, ग्वालियर की स्थापना मध्यप्रदेश विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा हुई जिसकी अधिसूचना क्र. 498 दिनांक 15.09.2022 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हुई। विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा पत्र क्रमांक वीयु/जी/2023-24/47 दिनांक 02.08.2023 के माध्यम से विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर स्थित महाविद्यालयों को मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9 (क) के प्रावधानों के अंतर्गत विश्वविद्यालय की संघटक ईकाई के रूप में मान्य करने हेतु आवश्यक प्रपत्र में जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर एवं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं केंद्र/राज्य की विभिन्न विनियामक परिषदों की अनुमति हेतु आवेदन की प्रति संलग्न कर आवेदन प्रस्तुत किया गया।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया जिसमें जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से संबंध विक्रांत इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, विक्रांत इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, विक्रांत इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग एण्ड एडवान्स स्टाडीज एवं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से संबंध विक्रांत इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, में संचालित पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक सत्र 2023-24 से असंबद्ध किया गया है।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं संलग्न सहपत्रों के परीक्षण हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2535/म.प्र.नि.वि.वि.आयोग, भोपाल/अका-1/2023-24 दिनांक 11.10.2023 के द्वारा एक सदस्य समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा अधिनियम की धारा 9(क)(ख) के अंतर्गत की गई जांच उपरांत प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(क)(3) में विनिर्दिष्ट प्रावधानांतर्गत तथा आयोग सभा की 187 वीं बैठक दिनांक 04.10.2023 में निर्णय के अनुक्रम में विक्रांत विश्वविद्यालय, ग्वालियर के मुख्य परिसर स्थित निम्नलिखित महाविद्यालयों को विक्रांत विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुक्रम में संघटक ईकाईयों के रूप में सशर्त एवं प्रावधिक रूप से मान्य किया जाता है:-

1. विक्रांत इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, ग्वालियर
2. विक्रांत इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, ग्वालियर
3. विक्रांत इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग एण्ड एडवान्स स्टाडीज, ग्वालियर
4. विक्रांत इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ग्वालियर

निरंतर-2

10/11

(2)

उक्त महाविद्यालयों में संचालित किए जाने वाले पाठ्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	संकाय	पाठ्यक्रम का नाम	वर्तमान में स्वीकृत सीट संख्या (धारा 9 'क' अनुसार)	प्रस्तावित नवीन/वृद्धि सीट संख्या	कुल स्वीकृत सीट संख्या	संबंधित विनियामक परिषद का आदेश तथा दिनांक	प्रकाशित अध्यादेश क्रमांक
1	Vikrant Institute of Technology and Management	Diploma, Mechanical Engineering	120	-	120	F.No. Central/1-36963/755394/2023/EOA Date 11/06/2023	71
		Diploma, Civil Engineering	60	-	60		
		Diploma, Electrical Engineering	60	-	60		
		B. Tech, Civil Engineering	90	-	90		
		B. Tech, Computer Science & Engineering	120	-	120		
		B. Tech, Electrical Engineering	30	-	30		
		B. Tech, Electronics and Communication Engineering	45	-	45		
		B. Tech, Fire Technology & Safety	30	-	30		
		B. Tech, Information Technology	30	-	30		
		B. Tech, Mechanical Engineering	90	-	90		
		M. Tech, Computer Science & Engineering	18	-	18		73
		M. Tech., Information Technology	12	-	12		
		M. Tech, Mechanical	09	-	09		
		M. Tech, Power system	12	-	12		
		M. Tech, Structural engineering	24	-	24		
		MCA	60	-	60		61
2	Vikrant Institute of LAW	LL.B.	60	-	60	BCI:D:139/2022	39
		B.A. LL. B	60	-	60	Date-05.02.2022	40
		LLM	30	-	30	-	43
3	Vikrant Institute of Management	M.B.A.	180	-	180	09/01/MP/MBA/2009/21. Date-29.06.2009	60
		M.B.A. (Marketing)	60	-	60		
		M.B.A. (Financial Administration)	60	-	60		
4	Vikrant Institute of Interageted Learning and advance Studies	B.B.A.	240	-	240	-	65
		B. Com	240	-	240		14
		BCA	240	-	240		62

निरंतर-3



मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम की धारा 9(क) की उपधारा (1) से (4) तक में अंतर्निहित किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन किए गए आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व उक्त महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्र विद्यमान विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी बने रहेंगे।

विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों से संबंधित विनियामक परिषदों ए.आई.सी.टी.ई. एवं बी.सी.आई. से नियमानुसार प्राप्त अनुमति के आधार पर प्रतिवर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश किया जाएगा।

शर्त :-

1. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यूजीसी. एवं अन्य संबंधित परिषदों के मापदण्डों के अनुसार अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
2. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यूजीसी. एवं अन्य संबंधित परिषदों मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।
3. विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधित विनियामक परिषदों की गाईडलाइन के अनुसार दिये जायेंगे।
4. पाठ्यक्रम संचालन से संबंधित विनियामक परिषद की अनुमति प्रतिवर्ष नियमानुसार प्राप्त की जायेगी।
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाईड लाइन/मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
6. विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
7. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नैक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्य कराना होगा।
8. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक एजेंसियों से ग्रेडिंग/मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा तथा पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु रैंकिंग संस्था/एजेंसियों के मापदण्डों की पूर्ति करना होगा।
9. यूजीसी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संचारित करना होगा।
10. पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जायेगी।

(अध्यक्ष, म.प्र. द्वारा अनुमोदित)

पृष्ठांकन 2264/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग/भोपाल
प्रतिलिपि :-

1. मान.अध्यक्ष महोदय, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. मूल नरित।
3. गार्ड फाइल।

(डॉ. के.पी. साहू)
सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल
दिनांक

सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल